

कार्यालय निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा चण्डी गढ़

आदेश क्रमांक 23/118-99 वि 1121

दिनांक चण्डी गढ़ 27-3-2000

इन्डो ब्रिटिश स्कूल गोहाना रोड़ रोहतक को निदेशालय के आदेश क्रमांक 23/118-99 वि 1121 दिनांक 25-8-99 के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बन्धाता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अब पूर्व जारी किए गए आदेश को संशोधित करते हुए इन्डो ब्रिटिश स्कूल गोहाना रोड़ विद्यालय आई बी रोहतक की ^{आइ.बी. (इंटरनेशनल)} बजार स्कूल गोहाना रोड़ रोहतक के नाम से विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से दसवीं स्तर तक सम्बन्धाता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ~~ब्रह्म~~ इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली विभागीय दिशाओं की धारणा करना रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।


विभागीय दिशाओं की धारणा न करने पर जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।


पी० के० महापात्र
निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठान्क क्रमांक सम दिनांक 27.3.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक।
- 2 सु० अ० आई बी स्कूल गोहाना रोड़ रोहतक।
- 3 सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत बिहार नई दिल्ली 110092.


अधीक्षक विद्यालय-1 27/3/00
को निदेशक सैकडरी शिक्षा हरियाणा
Rsp


Principal,
International Bharti School,
ROHTAK.